तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। विपक्षी सं. 1 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसकी नक्ल दिलाई गई। विपक्षी सं. 2 का जवाब पूर्व में पेश हो चुका है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 1 आर सी पी पूर्व में बहस की सुनी गई है। दोनों प्रार्थना पत्रों को खारिज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पत्रावली वास्ते बहस प्रार्थना मूल में दिनांक 25/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 23/07/25	
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। बहस हेतु अवसर चाहा जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस में दिनांक 26/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) 25/07/25	
26/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस को सुना गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार से है :- प्रार्थी श्री रामलाल पिता जीवराज जाट निवासी झाड़सादड़ी की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश योगी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. ए. का विपक्षी श्री अमरचंद पिता जीवराज व पूरणमल पिता तरदी-चंद जाट निवासी झाड़सादड़ी के विरुद्ध प्रस्तुत कर ग्राम झाड़सादड़ी पटवार मण्डल आयली बागरियान के खाता संख्या 6 में वर्णित आराजी नम्बर 461/12 रकबा 1.7300 है. खाता संख्या-6 में वर्णित आराजीयात किता 18 कुल रकबा 11.67.00 है. खाता संख्या 30 में वर्णित आराजीयात किता 15 कुल रकबा 4.6400 है. भूमि स्थित है। खाता संख्या 5 में वर्णित	

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

FORM NO. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़ मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूंगला जिला-चित्तौड़गढ़

रामलाल बनाम अमरचंद

मुकदमा प्रार्थनापत्र धारा 212 नं. 4/25 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	आराजी में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा व खाता संख्या 6 में प्रार्थी का 1/3 हक हिस्सा है, तथा इसी प्रकार से खाता संख्या 30 में प्रार्थी का 1/6 हक हिस्सा है। इसी हक हिस्सा के अनुसार प्रार्थी मौके पर काबिज काश्त है। तथा शांतिपूर्ण अपने हक हिस्सा की भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। परन्तु रकबे की कमी पूर्ति को लेकर पक्षकारों के मध्य आए दिन विवाद होने से प्रार्थी अपने हक हिस्सा की भूमि को विभाजन से अलग कर अलग खातेदारी में दर्ज कराना चाहता है। विपक्षीगण प्रार्थी के उपयोग उपभोग में जबरन प्रवेश कर नुकसान कारित करते हैं तथा लड़ाई-झगड़ा करने पर आमादा होने से तथा विपक्षी संख्या-2 द्वारा बिना विभाजन के तथा बिना सक्षम स्वीकृति के वादग्रस्त आराजीयात में निर्माण कार्य किया जाने से इनके विरुद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश हेतु प्रार्थी के अधिवक्ता ने निवेदन किया गया। इस पर वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस को सुना गया प्रार्थी का प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का सन्तुलन, अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित पाई जाने से विपक्षी संख्या-1 व 2 को मौका एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एक पक्षीय अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश दिनांक 30.4.2025 को प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। पत्रावली में दिनांक 17.7.2025 को सुनवाई नियत की गई। विपक्षी संख्या-1 की ओर से श्री एन. के. मेहता एडवोकेट द्वारा उपस्थिति दी गई। विपक्षी संख्या-2 की तरफ से	

(हस्ताक्षर) 26/

उपखण्ड अधिकारी
डूंगला
जिला-चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.11.07 14:27:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

30

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की में जारी
	श्री पंकज कुमार शर्मा अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया जिसकी नकल प्रार्थी अधिवक्ता को दिलाई गई। पत्रावली विपक्षी सं. 1 के जवाब में नियत की गई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सी. पी. सी. का पेश किया गया जिसकी नकल विपक्षी अधिवक्ता को दिलाई गई। प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सी. पी. सी. का पेश हुआ जिसकी नकल विपक्षी को दिलाई गई। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 7 सी. पी. सी. का व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 8 नियम 9 सी. पी. सी. का पेश हुआ जिसकी नकलें दिलाई गई। पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र में नियत की गई। वकील प्रार्थी ने बहस नहीं कर शपथ पत्र पेश करने का अवसर चाहा गया, दिनांक 14.8.2025 को श्री अमरचंद बगदीराम प्रजापत, मियाचंद जाट, गणेश लाल जाट के शपथ पत्र पेश हुए जिनकी नकलें प्रार्थी को दिलाई जाकर पत्रावली बहस प्रार्थना पत्र 39(7) व 8(9) में नियत की गई। प्रार्थी अधिवक्ता भी शपथ पत्र पेश करना चाहते है। इसलिए पत्रावली को पेश होने शपथ पत्र में नियत की गई। प्रार्थी की ओर से भी शपथ पत्र श्री चम्पालाल, मियाचंद, धनराज व भेरूलाल का पेश हुए जिनकी नकलें दिलाई गई। पत्रावली विपक्षी सं. 1 के जवाब में नियत की गई। दिनांक 23-9.2025 को विपक्षी सं. 1 की ओर से जवाब पेश हुआ जिसकी नकलें दिलाई गई। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39(7) व 8(9) दोनों प्रार्थना पत्रों की वकील उभय पक्ष को सुना गया। दोनों ही [illegible] खारीज किया जाने का आदेश दि[illegible] पत्रावली मूल [illegible] नियत की गई। दिनांक 26[illegible] वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट की सुनी गई। वकील प्रार्थी ने बहस में कथन किया गया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 में वर्णित तथ्यों को ही मेरी बहस मान जावे। विपक्षी के अधिवक्तागण ने बहस में	

Signature Not Verified
Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.11.07 14:27:48 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डूँगला जिला-चित्तौड़गढ़

FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी डूँगला जिला-चित्तौड़गढ़ मुकाम उपखण्ड अधिकारी डूँगला जिला-चित्तौड़गढ़

रामलाल वनाम अमरचंद

मुकद्दमा प्रा.पत्र 212 आर.टी.ए. नं. 24/25 सन

तारीख	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	कथन किया गया कि मौजा आड़साद्ड़ी पटवार मण्डल गाडोली बागरियान के खाता सं. 5 में विपक्षी सं. 2 का 1/3 हिस्सा खाता सं. 6 में विपक्षी सं. 2 का 1/3 खाता संख्या 30 में विपक्षी सं. 2 का 1/6 एक हिस्सा है इसी एक हिस्सा के अनुसार विपक्षी सं. 2 मौके पर काबिज काश्त है। तथा शान्तिपूर्वक अपनी भूमि का उपयोग उपभोग कर रहा है। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पूर्वजों द्वारा दिनांक 26-4.2006 को मौके पर 100/- एक सौ रुपये के स्टाम्प पर बंटवारा कर लिया गया है जो कि सहमति से हुआ है। तथा सहमति स्वरूप हस्ताक्षर भी किये गये है। आपसी बंटवारा पत्र की लिखापढ़ी के पश्चात ही विपक्षी सं. 2 के पिता द्वारा पत्थरों की मेड़बन्दी करवाई जा चुकी है तथा हिस्से पांती में आई भूमि में कुछ भाग पर मकान का निर्माण भी कर रखा है उसी भू भाग पर विपक्षी संख्या-2 को काबिज हो काश्त कर उपयोग उपभोग किया जा रहा है। सभी खातेदारान अपने एक हिस्सा अनुसार काबिज काश्त है तो प्रार्थी को न तो असुविधा हो रही है और न ही किसी प्रकार की क्षति हो रही है, विपक्षी को अस्थायी निषेधाज्ञा के स्थगन आदेश से उनके उपयोग उपभोग से रोका जाने से विपक्षी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थनापत्र को खारिज किया जावे। विपक्षी सं. 1 की भी यही बहस है। वकील उभय पक्ष की बहस [illegible] जाने के पश्चात पत्रावली का एवं [illegible] रिकार्ड, जवाब एवं दस्तावेजों आदि का [illegible] अवलोकन कर परीक्षण किया गया	

उपखण्ड अधिकारी डूँगला जिला-चित्तौड़गढ़

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर आदि हुक्म में
	तत्पश्चात पाया गया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात का प्रार्थी एवं विपक्षीगण के पूर्वजों के द्वारा आपसी लिखापढ़ी कर आपसी विभाजन कर रखा है। इसी अनुसार पक्षकारान काबिज चला आ रहा है। वर्तमान समय में विपक्षीगण को किसी भी तरह के स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाना न्यायसंगत नहीं है। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजीयात के प्रार्थी एवं विपक्षीगण सहखातेदार है। प्रार्थी को किसी प्रकार की भूमि को हथियाने कब्जा करने की कोई मंशा नहीं प्रकट होना पाई गई है। इसलिए उपरोक्त तथ्यों के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट. को अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। तथा दिनांक 30-4-2025 को विपक्षी के विरुद्ध प्रसारित किया गया अस्थायी निषेधाज्ञा का स्थगन आदेश को निरस्त कर खारिज किया जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। 26/09/25 **उपखण्ड अधिकारी** **डूंगला** **जिला-चित्तौड़गढ़**	

उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड ... डूंगला जि. चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ishwar Lal Khatik
Date: 2025.11.07 14:27:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner